(1)

## प्रेस–नोट

विभाग का नामः– कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

विषयः– उत्तराखण्ड कीवी नीति–2025 के सम्बन्ध में।

राज्य में कीवी उत्पादन को आधुनिक/वैज्ञानिक पद्यति के माध्यम से बढ़ावा दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड कीवी नीति–2025 प्रस्तावित है। वर्तमान में राज्य के लगभग 682.66 हे0 क्षेत्रफल में 381.80 मि0 टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। प्रस्तावित नीति में वर्तमान परिदृश्य एवं कीवी के उत्पादन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक 3500 हे0 क्षेत्रफल का आच्छादन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान उत्पादन को 85 गुना बढ़ाकर 33000 मि0 टन तथा उत्पादकता को 14 गुना बढ़ाकर 7.89 मी0 टन प्रति हे0 करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड शेष जनपदों में कियान्वयन किया जाना है। प्रस्तावित नीति में कीवी उद्यान स्थापना हेतु कुल लागत 12.00 लाख प्रति एकड़ का 50 से 70 प्रतिशत तक राज सहायता का प्राविधान है एवं शेष अंश लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

Signed by

(2)

# प्रेस–नोट

विभाग का नामः– कृषि एवं कृषक कल्याण (उद्यान विभाग)

विषयः– मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (CMFME) योजना में सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाई को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

Food Processing

पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 19.10.2022 द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) अन्तर्गत सम्मिलित सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाई को राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (CMFME) में सम्मिलित किये जाने तथा भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप के उपरान्त राज्य में स्थापित 74 सोर्टिंग, ग्रेडिंग इकाईयों को भी 25% अनुदान (टॉपअप), अधिकतम रू0 5.00 लाख राज सहायता से कृषकों/उद्यमियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

Signed by

(13)

# प्रेस–नोट

विभाग का नामः– कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

विषयः– राज्य में सेब के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन योजना (राज्य–सेक्टर)।

राज्य में सेब के 'ए' एवं 'बी' ग्रेड फलों के उचित भण्डारण, सॉर्टिंग–ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं समयान्तर्गत उचित ढुलान की व्यवस्था एवं उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान कराने हेतु सॉर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई, सी0ए0 स्टोरेज, रोपवे की स्थापना हेतु नई योजना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत सॉर्टिंग–ग्रेडिंग इकाई स्थापना हेतु वर्ष 2025–26 में PMFME योजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों हेतु व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों को 15% एवं FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution को 35% टॉप अप दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2026–27 से 2031–32 तक व्यक्तिगत, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों को 50 प्रतिशत एवं FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution हेतु 70 प्रतिशत राज सहायता प्रस्तावित है। Control Atmosphere Cold Storage (CA Storage) हेतु व्यक्तिगत क्षेत्रों, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु कुल 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम कुल रू0 400.00 लाख राज सहायता तथा FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आदि हेतु 70 प्रतिशत अर्थात रू0 560.00 लाख राज सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही रोपवे निर्माण हेतु व्यक्तिगत क्षेत्रों, पंजीकृत फर्म, पार्टनरशिप फर्मों हेतु कुल 50 प्रतिशत अर्थात 12.50 लाख एवं FPOs, FPCs, SHGs, Cooperatives, Community Based Institution आदि हेतु 70 प्रतिशत अर्थात रू0 17.50 लाख राज सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

**...ाट**

विभाग का नामः— कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ।

विषयः— "ड्रैगन फ्रूट (कमलम) फार्मिंग स्कीम—2025 (मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना : CMRKVY)" के सम्बन्ध में।

राज्य में ड्रैगन फ्रूट (कमलम) को बढ़ावा देने हेतु एवं क्लस्टर अवधारणा को अपना... नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर, ड्रैगन फ्रूट के बगीचों को स्थापित कर, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने एवं काश्तकारों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से "ड्रैगन फ्रूट (कमलम) फार्मिंग स्कीम—2025" प्रस्तावित है।

प्रस्तावित योजनान्तर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु प्रोत्साहन/अनुदान, 50 नाली (01 है0 तक) की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 है0 क्षेत्रफल तक) को कुल लागत का 80 प्रतिशत अथवा रू0 6.40 लाख, जो भी कम हो, तथा 50 नाली (01 है0) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल) को कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 4.00 लाख, जो भी कम हो, देय होगा।

# प्रेस–नोट

## विभाग का नाम : कृषि एवं कृषक कल्याण (अनुभाग–2)

विषयः– ''उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी–2025–26'' के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुक्रम में वर्ष 2023–24 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया।

पोषण संबंधी असुरक्षा विश्व की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है एवं अधिकतर जनसंख्या अनाज आधारित आहार पर निर्भर है, जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी पूर्ति मिलेट्स (मंडुवा/झंगोरा/रामदाना/कौणी/चीना) फसलों से की जा सकती है, क्योंकि मिलेट्स (मंडुवा/झंगोरा/रामदाना/कौणी/चीना) पौष्टिक रूप से धनी हैं, इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, खनिज और विटामिन होते हैं। मिलेट्स फसलें जलवायु के अनुकूल, कठोर और शुष्क भूमि वाली फसलें हैं, जिन्हें पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है।

इस नीति के द्वारा मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना मिलेट्स की खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ावा देना है तथा मिलेट मिशन की व्यापकता को देखते हुए एक सर्वांगीण मिलेट पॉलिसी तैयार की गयी है।

Signed by

## प्रेस नोट

**विषयः– संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं उसके सार्वभौमीकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में एक–एक अर्थात् कुल 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में।**

संस्कृत भाषा को विकसित एवं उसकी पहुँच जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभाग में कई स्तरों पर संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं, इसी प्ररिप्रेक्ष्य में संस्कृत के प्रचार–प्रचार एवं प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाये जाने हेतु संस्कृत ग्रामों की अवधारणा की गयी है, जिसका मूल उद्देश्य राज्य में संस्कृत ग्राम के अन्तर्गत समस्त वासियों को आपस में संस्कृत भाषा में वार्तालाप, नई पीढ़ी को संस्कृत के माध्यम से भारतीय दर्शन और ज्ञान परम्परा से जोड़ा जाना, सनातन संस्कृति के अनुसार संस्कारों के अवसर पर वेद पुराणों और उपनिषेदों का पठन–पाठन आदि एवं ग्राम की धरोहरों को संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध करने के साथ ही संस्कृत के सार्वभौमिकरण हेतु संस्कृत ग्राम को सुसभ्य, स्वच्छता की प्रवृत्ति अपनाने से सम्बन्धित परिकल्पना परिलक्षित होगी। जिसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक–एक संस्कृत ग्राम घोषित किये जाने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

# प्रेस–नोट

वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा संवर्ग के कुशल प्रबंधन हेतु विभिन्न राजकीय विभागों (कोशागार विभाग को छोड़ते हुए) में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों को पुनर्गठित/एकीकृत करते हुए, उक्त पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिकों का प्रशासकीय नियंत्रण निदेशालय, विभागीय लेखा को प्रदान किये जाने के निमित्त 'उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के नियम–4, 5, 10, 18 एवं 22 में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(12)

## प्रेस नोट का ड्राफ्ट
## (मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन के प्रतिबंधाधीन)

**विभागः—** **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।**

**विषयः—** **विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के कुल परिव्यय को ₹ 975.00 करोड़ से ₹ 1042.00 करोड़ किये जाने के संबंध में।**

विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम की Sustainability हेतु आवश्यक अतिरिक्त sustainability एवं Exit Plan strategy कार्यों को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में कार्यक्रम की Forex savings से किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के कुल परिव्यय ₹ 975.00 करोड़ को ₹ 1042.00 करोड़ किये जाने का प्रस्ताव मा० मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

# प्रेस नोट

**विभाग का नाम– वित अनुभाग–9**

**विषय– सम्पर्वतक (Promoter) एवं आवंटियों (Allottee) के संघ (Resident Welfare Association) के मध्य पंजीकृत विलेखों के माध्यम से सम्पत्ति अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

सम्पत्ति (मकान/फ्लैट) क्रय करते समय सम्प्रवर्तक (Promoter) एवं आवंटियों के संघ के मध्य सम्पत्ति/स्वामित्व हस्तांतरित किये जाने हेतु निष्पादित पंजीकृत विलेखों पर प्रति विलेख अधिकतम रू0 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति (मकान/फ्लैट) क्रय करते समय क्रेताओं के प्रति बिल्डरों/डेवलपर्स की धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, विधिक व्यय न्यून होगा। उक्त के साथ ही स्टाम्प शुल्क कम किये जाने से उल्लिखित प्रकृति के विलेखों के पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राजस्व अर्जन होगा एवं राज्य की आय में भी वृद्वि होगी।

(15)

# प्रेस नोट

विभाग का नाम–सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2

विषयः–सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क) का स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट) में समामेलन किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव–

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क) का स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू–कॉस्ट) में समामेलन किया जाना है।

# प्रेस नोट

विभाग का नाम– शहरी विकास विभाग।

विषय– सिरौलीकलां क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

सिरौलीकलां क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में गठित किये जाने के फलस्वरूप निकाय की सड़कों की गुणवत्ता, कूड़ा–उठान, स्ट्रीट–लाईट, सीवर–निर्माण, पार्कों में साफ–सफाई एवं रंगरोगन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे नगर के सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होगी। नगर पालिका के मानकों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ ही निकाय को प्राप्त होने वाले अनुदानों में भी पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे इस क्षेत्र में जनभावना के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

# प्रेस नोट

आवास विभाग

**विषयः उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के ढांचे का पुनर्गठन के संबंध में।**

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत सम्पत्तियों के निस्तारण, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, विक्रय पत्र, इत्यादि कार्यो एवं साथ–साथ परिषद् के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं एवं प्रस्तावित योजनाओं को त्वरित गति से संचालन किये जाने के दृष्टिगत परिषद् के पुनर्गठित ढांचे में आवश्यकता के अनुसार पूर्ववर्ती ढांचे में सृजित 19 पदों के सापेक्ष 18 पदों को यथावत् रखते हुये तथा 12 नवीन पद सृजित करते हुये कुल 30 पदों के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

# प्रेस नोट

विभाग का नाम– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा।

विषय– खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि नियंत्रक को पदेन अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव–

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त का 01 पद स्वीकृत है, जो कि पूर्व में पदेन अपर सचिव, स्वास्थ्य थे, जिसे विभाग हित में संशोधित कर औषधि नियंत्रक को पदेन अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त कर दिया गया है।

# प्रेस–नोट

**विभागः– सिंचाई विभाग**

**विषयः– जनपद देहरादून के सदर तहसील के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के सम्बन्ध में।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 25.07.2023 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था हेतु अधिनियमित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सदर तहसील के अंतर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (*Flood Plain Zoning*) की अन्तिम अधिसूचना निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

# प्रेस नोट

**विभाग का नाम–** सिंचाई विभाग (सिंचाई अनुभाग–1)

**विषय–**सिंचाई विभागान्तर्गत वैज्ञानिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रतिरूप सहायक के वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

**प्रस्ताव–** सिंचाई विभागान्तर्गत वैज्ञानिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रतिरूप सहायक की शैक्षिक अर्हता/कार्य की प्रकृति एवं दायित्व अन्य विभागों में समान प्रकृति के पदों के अनुरूप होने के दृष्टिगत, अन्य विभागों के समकक्ष पदों के वेतनमानों के समान, प्रतिरूप सहायक के वेतनमान को भी तद्नुसार रू. 5200–20200, ग्रेड वेतन रू. 1900 से वेतनमान रू 5200–20200, ग्रेड वेतन रू. 2400 में उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

1/288027/2025

23

# प्रेस नोट

**विभाग का नाम–** सिंचाई विभाग (सिंचाई अनुभाग–01)

**विषयः–** उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2018 के नियम–5(1)(घ) तथा नियम–8 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

**प्रस्ताव–** उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2018 प्रस्तर–5(1)(घ) भर्ती के स्रोत तथा शैक्षणिक अर्हता प्रस्तर–8 में निहित व्यवस्थानुसार नलकूप मिस्त्री के पदों से कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हता पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत् 24 प्रतिशतः मौलिक रूप से नियुक्त नलकूप मिस्त्रियों में से कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति हेतु हो रही कठिनाई के कारण उक्त नियमावली 2018 के प्रस्तर–5(1)(घ) भर्ती के स्रोत में चौबीस प्रतिशतः (24%) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे नलकूप मिस्त्रियों मे से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में आई0टी0आई0 हों, में से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा एवं शैक्षणिक अर्हता प्रस्तर–8 में "या पदोन्नति" शब्दों का लोप कर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

ITI in place of deploma

(14)

<u>प्रेस नोट</u>

विभाग का नाम : गृह अनुभाग–04

विषयः– उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025।

वर्ष 2020 से पसारा के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित/अधिसूचित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा *उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 के रूप में अंगीकार करते हुए अधिसूचित की गयी।*

*उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2022 एवं उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार* फर्म के नाम में प्राईवेट सिक्योरिटी शब्द होना अनिवार्य है। जिस कारण पूर्व सैनिकों एवं ऐसी एजेन्सियां जिनको पूर्व से लाईसेंस प्राप्त है तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है, को प्राइवेट सिक्योरिटी हेतु लाइसेंस प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, *जिसके निराकरण हेतु नियमावली के उक्त प्रावधान से छूट प्राप्त की जानी है, फलस्वरूप उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की जानी है।*

Signed by

## –प्रेस नोट–

विभाग– विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषय– उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष, 2025 के प्रथम सत्र का सत्रावसान तत्काल प्रभाव से किये जाने की संस्तुति के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'विचलन' से अनुमोदन की सूचना के संबंध में।

उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष, 2025 का प्रथम सत्र, जो उसके दिनांक 18 फरवरी, 2025 के उपवेशन से प्रारम्भ हुआ, दिनांक 22 फरवरी, 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था।

2– तद्क्रम में विषयगत प्रथम सत्र का सत्रावसान तत्काल प्रभाव से किये जाने की संस्तुति करने का मामला मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिस पर तात्कालिकता के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'विचलन' से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3– अतः उक्तानुसार प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'विचलन' से अनुमोदन प्रदान किये जाने की सूचना मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था।

4– उक्त के क्रम में मा0 मंत्रिमण्डल अवगत हुआ।

# प्रेस नोट

विभाग का नामः गृह अनुभाग–05
विषय :समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड 2025 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

समान नागरिक संहिता उत्तराण्ड 2024 राज्य में दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रवृत्त हो चुकी है, जिसके माध्यम से समान नागरिक संहिता पोर्टल पर नागरिकों के विवाह, विवाह–विच्छेद, सहवासी संबंध, उत्तराधिकार आदि का पंजीकरण किया जा रहा है। पोर्टल के सुचारू संचालन हेतु उप निबंधक के कार्यक्षेत्र की अधिकारिता एवं उप निबंधक के दायित्वों के निर्वहन हेतु नामित अधिकारी के प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता है।

## प्रेस नोट

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–324 / 2020 डा0 बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 के अनुपालन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के component-2 के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशे में कार्यरत एवं सीवर सफाई के दौरान मृत एवं दिव्यांग हुये व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

# प्रेस नोट

नाम– माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

विषयः– गेम चेंजर योजना के अन्तर्गत निःशुल्क नोटबुक प्रदान किये जाने विषयक।

गेम चेंजर (Game Changer) योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025–26 से राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में डी0बी0टी के माध्यम से निःशुल्क नोटबुक प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त गेम चेंजर (Game Changer) योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली नोटबुक की संख्या का विवरण निम्नवत् है–

| कक्षा | नोटबुक की संख्या | प्रति नोटबुक पृष्ठों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 से 2 | 1 | 200 |
| 3 से 5 | 3 | 200 |
| 6 से 8 | 5 | 200 |
| 9 से 12 | 5 | 240 |

# प्रेस नोट

विभाग का नाम– सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी।

विषयः– **सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) के ढाँचे के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।**

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुयी क्रान्ति से इस क्षेत्र के निरन्तर हो रहे विकास के फलस्वरूप विभागीय कार्यभार बढ़ने के दृष्टिगत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) के ढाँचें के सम्बन्ध में वर्तमान में **शासनादेश संख्या–I/151635/2025/XXXIV-1/ई–453, दिनांक–04.09.2023** के माध्यम से सृजित कुल 45 पदों के सापेक्ष आई0टी0डी0ए0 के वर्तमान सृजित 12 पदों का पदनाम परिवर्तन, कुल 10 नवीन पदों का सृजन एवं लोक सम्पर्क अधिकारी के 01 को समाप्त किया जा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित आई0टी0डी0ए0 के शासी निकाय (Governing Body) के निर्णय के उपरान्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उपबंधित प्राविधानों के आलोक में पी0एम0सी0 के स्थान पर, आई0टी0डी0ए0 अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं को कन्सल्टेन्सी, प्रतिनियुक्ति इत्यादि के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

# प्रेस नोट

विभाग का नाम– औद्योगिक विकास विभाग।

विषय–'मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021'' की वैधता अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में।

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास दर में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु प्रख्यापित ''मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021'' की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो चुकी है। नई मेगा पॉलिसी के प्रख्यापन में समय लगने की सम्भावना है। अतः ''मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021'' को जून 2025 अथवा नई नीति के प्रख्यापित होने तक विस्तारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे कि इस अवधि में उत्पादन में आने वाली इकाईयों/प्रस्तावित कार्यों में निरन्तरता बनी रहे तथा कोई गैप (समयान्तर) उत्पन्न न हो।

## प्रेस नोट

**विषयः— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2018 को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के लिये अंगीकार किये जाने के संबंध में।**

प्रदेश में संचालित उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना दिनांक 21.04.2005 को की जा चुकी है। उक्त संस्कृत विश्वविद्यालय को अपने मौलिक स्वरूप में लाने के लिए, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन नियुक्ति इत्यादि, अन्य आधारभूत विकास परक परियोजनाओं को सुचारू तथा सुव्यवस्थित रूप से लागू एवं राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के उत्थान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित अन्य विश्वविद्यालयों की भांति मिलने वाली राज्य स्तरीय एवं केन्द्र स्तरीय अनुदानों आदि का लाभ प्राप्त हो सके। इस निमित्त भारत सरकार द्वारा लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 उत्तराखण्ड राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में लागू/अंगीकार किया गया है, को आवश्यक संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में यथावत् लागू कर लिया जाय। इस परिकल्पना के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम–2018 को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर निर्णय लिया गया है।

36

# प्रैस नोट

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, पुनर्प्राप्ति के लिये राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) के निर्धारित मानकों में अनुमन्य कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त के वर्तमान में निर्धारित वित्तीय, प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय अधिकार की सीमा कम होने से तात्कालिक रूप से किये जाने वाले मरम्मत कार्य हेतु जनपदों तथा मण्डल कार्यालयों को राज्य स्तर से धनराशि की स्वीकृति करानी होती है, जिसमें समय लगने की संभावना रहती है।

भारत सरकार द्वारा माह अगस्त 2024 में राज्य आपदा मोचन निधि मद (एस०डी०आर०एफ०) के पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction) मद के नवीन मानकों में पूर्व की तुलना में काफी अधिक वृद्धि की गयी है। स्थानीय स्तर पर वित्तीय अधिकारों की सीमा कम होने के कारण कार्य कराने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction) हेतु तथा त्वरित गति से कार्य कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के वित्तीय अधिकारों को निम्नानुसार प्रतिनिधायन किया जा रहा हैः-

| क्र.सं. | स्वीकर्ता अधिकारी | पूर्व निर्धारित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन | प्रस्तावित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन |
|---|---|---|---|
| 1 | **जिलाधिकारी** | **रू० 20.00 लाख** | **रू०** 1.00 करोड़ तक |
| 2 | **मण्डलायुक्त** | **रू० 20.00 लाख से रू० 50.00 लाख तक** | **रू०** 1.00 करोड़ से रू. 5.00 करोड़ तक |

# प्रेस नोट

विभाग का नामः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषयः उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड राज्य गठन दिनांक 09.11.2000 से आतिथि पैक्स कैडर सचिवों की सेवाओं को नियंत्रित करने हेतु राज्य की समस्त एमपैक्स में कार्यरत कैडर सचिवों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 यथावत लागू है।

2– राज्य गठन के उपरान्त समिति के सचिवों एवं कर्मचारियों के सेवा प्रकरणों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अनुरूप विनियमावली गठन की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के समस्त एमपैक्स (बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति) में कार्यरत कैडर सचिवों व पैक्स में कार्यरत आंकिकों व विकास सहायकों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 122 'क' के अधीन उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति, विनियमित एवं सेवा शर्तों के उद्देश्य से उक्त नियमावली का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

# प्रेस–नोट

**विभाग का नाम– कृषि एवं कृषक कल्याण**

**विषय– ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर, ऊधमसिंह नगर के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में।**

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर, ऊधमसिंह नगर के विस्तारीकरण हेतु विभिन्न संस्थानों की हस्तान्तरित भूमि, भूमि का मूल्य, भूमि पर अवस्थित सरंचनाओं/कार्यालयों एवं उनके उपकरणों को गतिमान रखने के लिए अस्थाई शिफ्टिंग में होने वाले व्यय एवं भूमि पर अवस्थित सरंचनाओं के ध्वस्तीकरण तथा वर्तमान संरचनाओं/कार्यालयों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् अन्य स्थान पर सरंचनाओं/कार्यालयों एवं उनके उपकरणों के नवनिर्माण/संस्थापना पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित लागत की क्षतिपूर्त्ति/प्रतिपूर्त्ति किया जाना प्रस्तावित है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर, ऊधमसिंह नगर के विस्तारीकरण से उत्तराखण्ड राज्य में अन्य राज्यों एवं देशों से राज्य में आने वाले लोगों को सुगमता होगी, जिससे राज्य में पर्यटन की गतिविधियों एवं रोजगार में वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रदेश में वायुयान द्वारा यात्रा करने में सरलता एवं सुगमता होगी। इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से राज्य की आर्थिकी में वृद्धि होगी।